न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–95/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00207)

1. शंकरलाल
2. बंशीधर,
3. महेश,
4. रामावतार पुत्रान स्व. श्री प्रभूदयाल, जाति बागडा ब्राहाम्ण, निवासी खालसा वाली कोठी, ग्राम मौरिजा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
2. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल, धर्मपत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम मौरिजा तहसील चौंमू जिला जयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 125/5, गैटोर रोड़, गंगाधर राव की गली, ब्रहम्पुरी जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

3. श्रीमती सीतादेवी पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल धर्मपत्नी श्री बिहारीलाल शर्मा, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी मकान नम्बर–77, इन्द्रा कॉलोनी, रेलवे स्टेशन रोड़ चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
4. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री स्व. श्री प्रभूदयाल धर्मपत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा, जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी बाढ फतेहपुरा, गंगासहय बागड़ा की ढाणी ग्राम पोस्ट बेगस वाया बगरू तहसील व जिला जयपुर।
5. मोहन लाल पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल जाति बागडा, ब्राहाम्ण निवासी संतों की ढाणी, खलसा वाली कोठी ग्राम मौरिजा तहसील व जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 26.02.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 25.02.2009 (प्रकरण संख्या 14/ 2008) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट के पिता प्रभूदयाल द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 17.10.2002 के आधार पर जो नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक मे किये जाने को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौंमू ने नकारा है यह उनकी कानून सम्बन्धी भारी भूल है क्योंकि विवादित सम्पत्ति के पैतृक होने की जांच करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है इसी प्रकार इसका स्वत्व भी निर्धारित नही किया जा सकता, नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक फिस्कल प्रक्रिया है जो लघु जांच

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा पूरी की जाती है, तहसीलदार ने इस कानूनी पहलू पर कोई विचार न कर अपीलार्थीगण के हक में नामान्तरकरण खोलने से इन्कार किया है, यह उनकी भारी कानून अविवेकता है क्योंकि काश्त भूमि पर नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल कब्जे आराजीयात पर निर्धारित है, प्रकट रूप से आपत्तिकर्ता को कोई कब्जा विवादित आराजीयात पर नही है इस कारण उनकी उज्रदारी विधि सम्मत नही होने से संक्षिप्त जॉच के आधार पर निरस्त होने योग्य थी जिसे अस्वीकार कर तहसीलदार चौंमू ने भारी कानूनी गलती की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आपत्तिकर्ता ने द्वेश व रंजिश की भावना से आपत्ति प्रस्तुत की थी जो आधारहीन होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य थी लेकिन तहसीलदार ने इस ओर कोई ध्यान न देकर जो अपीलार्थीगण के हक में नामान्तरकरण नही खोला है जिससे उनका विवादित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि आपत्तिकर्ता ने खसरा नम्बर 4079, 4082, 4083, 4084, 4086, 4088, 4115 कुल किता 7 का ही वर्णन अपनी आपत्ति में दर्ज किया है जिनका प्रस्तुत वसीयत से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है, न ही इनके बाबत कोई नामान्तरकरण की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन ही थी ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत आपत्ति को अस्वीकार करने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी गलती की है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उज्रदार प्रेमदेवी की आपत्ति पर कोई प्रथम दृष्टया विधि सम्मत जांच नही की जिसके आधार पर तथाकथित वसीयत का कूटरचित व फर्जी होना बताया है ऐसा साबित करने का भार आपत्तिकर्ता पर था जिसके अभाव मे अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय किसी भी प्रकार विधि सम्मत व न्यायोचित न होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2009 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौंमू को आदेशित किया जावे कि वह अपीलार्थीगण के हक में विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण खोलने बाबत पटवारी हल्का को आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के दादा से सम्बन्धित है तथा दादा के स्वर्गवास होने पर आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता प्रभूदयाल के नाम खुला तथा पिता प्रभूदयाल का स्वर्गवास दिनांक 22.08.2007 को हो चुका है तथा पिता प्रभूदयाल के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त पुश्तैनी सम्पत्ति में रेस्पोडेन्ट का 1/18 हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बाई बर्थ ही कानूनन है जिसके कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपने हिस्से 1/18 भाग का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने की कानूनन अधिकारी है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के भाईयों ने रेस्पोन्ट संख्या 2 के स्व. पिता को गुमराह कर बिना जानकारी व अधिकार के एक वसीयत उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से की बना रखी है, जो रेस्पोडेन्ट के जायज अधिकारों के प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही निल एण्ड

संभागीय आयुक्त

वोईड है जबकि उक्त वसीयत ना तो रेस्पोडेन्ट के स्व. पिता द्वारा बनाई गई, ना कभी उनकी इस प्रकार की कोई इच्छा रही, रेस्पोडेन्ट के भाईयों उक्त आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से को हड़प कर जाने के आशय से व रेस्पोडेन्ट के जायज अधिकारों से महरूम कर देने के आशय यह कूटरचना की है तथा रेस्पोडेन्ट के भाई आपसी मिलीभगत कर बाला–बाला अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाना चहते है जिनका कि उनको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज है अपने हिस्से की आराजीयात का प्रयोग उपयोग उपभोग कर रही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2009 को खारिज फरमाया जावें एवं रेस्पोडेन्ट के हिस्से की आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज कर स्वीकार करने के का आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि खातेदार द्वारा की गई वसीयत निष्ठापत्र सही है अथवा नही इस तथ्य को तय करने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्रदत्त नही है इसके लिये तो पक्षकारान को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है अथवा स्वअर्जित बाबत विस्तृत जांच नही की गई जबकि तहसीलदार को वादग्रस्त आराजी बाबत पटवारी, गिरदावर हल्का से इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये था लेकिन तहसीलदार चौमू द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2009 पारित किया गया है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2009 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार चौमू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं वादग्रस्त आराजी पैतृक है अथवा नही इस सम्बन्ध में विस्तृत जॉच की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।